न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/75/रा.भू.अधि./04/2017/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. दिलीप पुत्र करनीदान उम्र 48 वर्ष जाति चारण निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.श्रीमान जिला कल्कटर, बाड़मेर 2.सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री सुनील के मेराजा प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजीखां रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 17.07.2019

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट प्रार्थी ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान का स्थाई निवासी है साथ ही अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 23/83 रकबा 01.10 बीघा मौजा सिणधरी चारणान की आलोच्य आवंटन आदेश से आवंटित भूमि खसरा संख्या 23/88 के सेढासेढ होने के साथ ही रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व रेकर्ड एवं आवंटन अनुसार पंचायत भवन हेतु जहां भूमि आवंटित की गई है उस स्थल को छोड़कर अपीलांट एवं अन्य खातेदार की भूमि जो खसरा संख्या 23/6 में समाहित है पर जबरन निर्माण कर रहे हैं, जिससे अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट/प्रार्थी अपीलाधीन आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान को भू–आवंटन हुआ है। ग्राम पंचायत भवन बनने में रोड़ा डालने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उद्देश्य से हस्तगत अपील पेश की गई है। पंचायत को जहां पर भूमि का आवंटन किया गया है उसी स्थान पर पंचायत भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। अपीलांट जमीन की कीमतों में वृद्धि होने से तथा अपीलाधीन आराजी सिणधरी बाजार की मुख्य सड़क पर स्थित होने से सरकारी भूमि हड़पने के लिए प्रयासरत है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश फार्म संख्या 03 में सूची दस्तावेज में शामिल नक्शा ट्रेस पी 35 क्रमांक 5276 दिनांक 06.04.2016 तथा क्रमांक 6142 दिनांक 21.11.2016 में ग्राम पंचायत भवन हेतु भू–आवंटन बाबत प्रस्तावित/आवंटित भूमि पड़ौसी खसरों के संदर्भ सहित दर्शायी हुई है। इस नक्शा ट्रेश में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 23/83 इसके आस–पास स्थित नहीं है। इसके सन्निकट खसरा संख्या 23/6 की भूमि है जो अन्य खातेदार की खातेदारी भूमि है जिसके संबंध में न्यायालय हाजा में पृथक से प्रकरण अपील संख्या 21/2017 बअनवान कालूराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान विचाराधीन था जिसका निर्णय आज रोज हो चुका है। **आक्षेपित आदेश से ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान को आंविटत भूमि के इर्द–गिर्द निकट में प्रार्थी/अपीलांट का खेत खसरा संख्या 23/83 अवस्थित नहीं है। इस कारण वह किसी भी रूप में अपीलाधीन आवंटन आदेश से सीधा प्रभावित/हितबद्ध या पीड़त व्यक्ति नहीं है** लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

17/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner